-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह के 02 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 1.45 लाख रुपए व अवैध तमंचा, कारतूस आदि बरामद । अभियुक्तों द्वारा दिनांक 15.12.2025 को थाना अतर्रा क्षेत्र में व्यक्ति के 1.5 लाख रुपए की चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम ।**
- **अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर बांदा व आस पास के जनपदों/राज्यों में बैंकों, बाजारों, पशु बाजारों, अनाजों की मंडियों, रेलवे/बस स्टैंडों आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चोरी की घटनाओं को दिया जाता था अंजाम ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 15.12.2025 को थाना बदौसा क्षेत्र के ग्राम तुर्रा के रहने वाले विनोद गौतम कस्बा अतर्रा में अपने रिश्तेदार से मिलने आये थे जहां पर अज्ञात चोरों द्वारा उनके मोटरसाइकिल से झोले में रखे 1.5 लाख रुपए चोरी कर लिए गये थे । जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे । इस क्रम में दिनांक 21/22.12.2025 की रात्रि को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अभियुक्तों की पहचान करते हुए घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को घेराबन्दी कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है । तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 01 लाख 45 हजार 500 रुपए, अवैध तमंचा व कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ है । पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे दोनों सगे भाई है व छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले है तथा अपने एक अन्य सगे भाई सिद्धू के साथ तीनों लोग मिलकर बांदा व आस-पास के जनपदों/राज्यों में बैंकों, बाजारों, पशु बाजारों, अनाजों की मंडियों, रेलवे/बस स्टैंडों आदि भीड़-भाड़ वाले आदि स्थानों पर पहले रेकी करते है और फिर माल खरीद/बिक्री हेतु रुपए लेकर आने-जाने वाले व्यक्तियों का पीछा करते है तथा मौका पाकर रुपयों की चोरी कर लेते है । इसके अतिरिक्त खड़े वाहनों तथा महिलाओं के पर्स आदि से रुपयो/ कीमती सामानों की चोरी करते है । दिनांक 15.12.2025 को हम तीनों भाईयों नें मिलकर कस्बा अतर्रा के मंडी के पास एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल के हैण्डल से झोले में रखे 1.5 लाख रुपए चोरी कर लिए थे उसके बाद मेरा भाई सिद्धू को घर जाना था इसलिए वह कुछ रुपए लेकर चला गया । पुलिस द्वारा दोनों को अभियुक्तों का गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में शामिल एक अन्य फरार/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे । इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच/पूछताछ की जा रही है कि इनके गिरोह में और कौन-कौन शामिल है तथा इनके द्वारा और कहाँ-कहाँ एवं किन-किन स्थानों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है ।

बरामदगी-

- 01 लाख 45 हजार 500 रुपये नगद चोरी के
- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस
- 01 मोटरसाइकिल होण्डा यूनिकार्न(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गिरबल पुत्र हरदौस आदिवासी निवासी चन्द्रपुरा थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर (म0प्र0) ।
2. निरबल पुत्र हरदौस आदिवासी निवासी चन्द्रपुरा थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर (म0प्र0) ।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. सिद्धू पुत्र हरदौस आदिवासी निवासी चन्द्रपुरा थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 460/25 धारा 303(2)/317(2)/112 बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0निरी0 थाना अतर्रा
2. श्री मणिशंकर मिश्रा चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा
3. कां0 पंकज द्विवेदी
4. कां0 जंगबहादुर
5. कां0 श्रवण कुमार